

<u>दांडिक अपील कमांकः 369 / 2013</u> संस्थित दिनांक—18 / 12 / 13

1— राधेश्याम उर्फ रन्धावा पुत्र रामगोपाल शर्मा उम्र 38 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम हंसपुरा थाना व परगना मेहगांव जिला भिण्ड म०प्र०

----अपीलार्थी / आरोपी

वि रू द्ध

1— मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला—भिण्ड (म०प्र०) ———<u>प्रत्यर्थी / अभियोगी</u>

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बधेल अपर लोक अभियोजक अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री एम०एस० यादव अधिवक्ता

न्यायालय—श्री एस०के०तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक—611 / 11 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 18 / 11 / 13 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

-::- <u>निर्णय</u> -::-

(आज दिनांक 21 नबम्बर, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

01— उपरोक्त दाण्डिक अपील/अपीलार्थी राधेश्याम उर्फ रन्धावा की और से न्यायालय जे0एम0एफ0सी0गोहद श्री एस0के0तिवारी द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक 611/11 में दिनांक 18/11/13 को घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा 279, 304ए भा0द0सं0 के अपराध के लिये दोषी उहराते हुये धारा 71 भा0द0सं0का अनुशरण करते हुये गुरुत्तर अपराध धारा 304ए भा0द0सं0 में एक वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दिण्डित किया है।

02— प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि आरोपी/अपीलार्थी पेशे से ड्रायवर है ।

03— अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 3/6/11 को शाम के साढे 8 बजे के लगभग तुकेडा की पुलिया भिण्ड

ग्वालियर रोड सुरेन्द्रसिंह के खेत के सामने मौजा तुकेडा थाना मालनपुर लोकमार्ग पर फरियादी राममुनेशसिंह अपने चचेरे भाई के साथ बस कमांक एम0पी0-30 एम0पी0-1163 में बैठकर मालनपुर फैक्ट्री नौकरी करने के लिये आ रहा था । फरियादी का चचेरा भाई रामबरनसिंह गेट के पास अंदर था ड्राईवर ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाया तथा कट मारने लगा फरियादी एवं सवारियों ने समझाया परन्तु चालक ने बस को एकदम ब्रेक लगा दिया । रामवरन सिंह गेट के नीचे गिर गया । फरियादी ने बडी मुश्किल से बस को रूकवाया । ड्राईवर बस को ग्वालियर तरफ भगाकर ले गया रामवरन के दाहिने पैर के घुटने के नीचे चोट होकर खून निकल रहा था शरीर पर जगह जगह चोट थी चोट ज्यादा होने से उसे उठाकर जे०ए०एच० अस्पताल ग्वालियर ले जाया गया । घटनाको बस में बैठी सवारियों द्वारा देखा गया है । घटना के संबंध में फरियादी ने पुलिस थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई जिस पर से बस क्रमांक एम0पी0—30 एम0पी0—1163 के चालक के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया और मामला अनुसंधान में लिया गया । अनुसंधान के क्रम में आहत की मृत्यू हो जाने के कारण धारा 304ए भा0द0स0 का इजाफा किया गया शेष अनुसंधान पूर्ण होने के वाद अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

04— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोगपत्र व संलग्न प्रपत्रों के आधार पर धारा 279, 304ए भा0द0सं0 के तहत समनस विचारण करते हुये अपराध विवरण तैयार कर आरोपी/अपीलार्थी को अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाई व समझाई गई, जिसके द्वारा अपराध से इंकार कर विचारण किया गया । विचारण उपरांत धारा 279, 304ए भा0द0सं0 में दोषसिद्ध उहराते हुये गुरूत्तर अपराध धारा 304ए भा0द0सं0 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर उक्त दाण्डिक अपील पेश की गई है, जिसमें आरोपी/अपीलार्थी की और से यह आधार लिया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों के कथनों में आये विरोधाभासी विसंगतियों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया तथा शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक द्वारा भी मृत्यु घटना के 24 घंटे के भीतर की बताई गई, जब कि घटना दिनांक 3/6/11 की बताई गई है और मृत्यु दिनांक 6/6/11 को हुई अर्थात 3 दिन होने के बावजूद 24 घंटे के भीतर से ही संदिग्ध है ।

05— इसके अलावा घटना की रिपोर्ट भी विलंवित है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और रिपोर्टकर्ता रामनरेश के द्वारा थाना कंपू ग्वालियर में सूचना देना बताई गई है, जो कतई प्रमाणित नहीं कराई गई । एफ0आई0आर0 में चालक का कोई नाम नहीं बताया गया है, और न्यायालय में साक्षी रामनरेश अ0सा0—1 के द्वारा की गई पहचान विधि सम्मत नहीं है, तथा अन्य साक्षी रामदास और दिलीप ने आरोपी/अपीलार्थी की कोई पहचान नहीं की और

उन्होंने दुर्घटना भी अलग अलग तरह से बताई है, जिन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय साक्षी मानकर गंभीर विधिक त्रुटि की है और आरोपी/अपीलार्थी के विरूद्ध विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है, इसलिये दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को निर्णय अपास्त कर धारा 304ए भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाये, और जमा अर्थदण्ड वापिस दिलाया जाये।

- 06— अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :--
- 1— ''क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 611/11 में दिनांक 18/11/13 को घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा अभ्भलेख पर आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को दी गई दण्डाज्ञा अत्यधिक कठोर श्रेणी की है यदि हां तो प्रभाव?

-::- निष्कर्ष के आधार -::-

07— अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्क में मूलरूप से जिन बिन्दुओं पर बल दिया है उनमें सर्वप्रथम तो यह कहा है कि घटना की रिपोर्ट बिलंवित है, और दिनांक 3/6/11 की घटना बताई गई है, किन्तू उक्त दिनांक को कोई रिपोर्ट नहीं की गई । मर्गसूचना दिनांक 4/6/11 की है ओर जे०ए०एच० अस्पताल ग्वालियर में मृतक रामवरन की मृत्यु दिनांक 6-6-11 को बताई गई है । शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक ने 24 घंटे के भीतर की मृत्यू बताई है, जिससे दुर्घटना दिनांक 5-6-11 की होना परीलक्षित होता है, जिससे ही आरोपी / अपीलार्थी पर लगाया गया आक्षेप खण्डित होता है, तथा थाना कंपू ग्वालियर में साक्षी रामनरेश अ०सा०–1 सूचना देना कहता है, किन्त् ऐसी कोई सूचना साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई है । एफ0आई0आर0 में बस चालक का नाम नहीं है, और बस से कोई दुर्घटना नहीं घटी इसलिये अपराध पूरी तरह से संदिग्ध है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर कोई निष्कर्ष ना देते हुये अविवेकपूर्ण दोषसिद्धि की है, इसलिये निर्णय अपास्त कर आरोपी / अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाये, जब कि विद्वान ए०पी०पी० ने खण्डन करते हुये अपने तर्को में यह व्यक्त किया है कि, साक्षी रामनरेश अ0सा0–1 के कथनों से आरोपी का बस चालक होना उसके द्वारा तेजी व लापरवाही से बस चलाये जाने के कारण मृतक रामवरन की बस में से अचानक लगाये गये ब्रेक के कारण बाहर गिरने से चोटिल होने के कारण उक्त चोटों के परिणामस्वरूप उपचार के दौरान मृत्यु होना प्रमाणित है, इसलिये विद्वान

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, और चिकित्सक साक्ष्य से कोई नहीं है, इसलिये अपील निरस्त की जाकर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को यथावत रखा जाये ।

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन किया गया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया, आलोच्य निर्णय के निकाले गये निष्कर्षो पर चिन्तन, मनन किया गया । अभियोजन के कथानक में बस क्रमांक एम0पी0-30 पी0-1163 से कथानक में दुर्घटना बताई गई है कि उक्त बस में बैठकर मृतक रामवरन अपने चचेरे भाई रामम्नेशसिंह के साथ तुकेडा मोड से मालनपुर फैक्ट्री में नौकरी के लिये जा रहा था, और बस के अंदर था बस में ड्राईवर द्वारा एकदम से तेजी व लापरवाहीपूर्वक बस को चलाया गया और कट मारने लगा सवारियों के मना करने पर भी नहीं माना और एकदम से बस के ब्रेक लगाये, जिससे रामवरन बस के गेट के नीचे गिर गया तब वमुश्किल बस को रोका गया और रामवरन के सिर, घुटने, कान व शरीर में अन्य जगह चोटें आने के कारण उसे सीधे ग्वालियर जे०ए०एच० अस्पताल ग्वालियर ले जाकर भर्ती कराया गया । अभिलेख पर अभियोजन की और से 6 साक्षी पेश किये गये । आरोपी / अपीलार्थी की और से रंजिशन झुंठा फंसाये जाने का आधार लिया, किन्तू कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई रंजिश को भी स्पष्ट नहीं किया, इसलिये रंजिश का लिया गया आधार औपचारिक है और रंजिश के बिन्दू पर ऐसी स्थिति में अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

09— यह सुस्थापित दाण्डिक विधि है कि प्रत्येक आपराधिक मामले में किये गये आक्षेपों को प्रमाणित करने का भार हमेशा ही अभियोजन पर रहता है कि वह अपने मामलें को युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करे ऐसे में बताई गई घटना के खण्डन स्वरूप आरोपी/अपीलार्थी की और से कोई बचाव साक्ष्य पेश ना किये जाने के आधार पर अभियोजन के मामलें को सुदृढ नहीं माना जा सकता है, और यह देखना होगा कि क्या अभियोजन प्रस्तुत मामलें को युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल है तभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि को यथावत रखा जा सकता है।

10— यह सही है कि प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी व मृतक के नातेदार चचेरे भाई राममुनेशिसंह अ0सा0—1 द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी जो रिपोर्ट दिनांक 4/6/11 को 10—30 बजे लेखबद्ध कराई गई और घटना दिनांक 3/6/11 के 8—30 बजे की बताई गई है अर्थात घटना दिनांक को रिपोर्ट नहीं हुई किन्तु कथानक में यह स्पष्ट रूप से आया है कि दुर्घटना के वाद गंभीर चोटें होने से आहत रामवरन को सीधे जे0ए0एच0 ग्वालियर ले जाया गया था, ऐसे में घटना दिनांक को रिपोर्ट ना होना कोई अभियोजन के लिये घातक नहीं माना जा सकता है, क्योंिक आहत व्यक्ति के

जीवन की रक्षा प्राथमिक उत्तरदाई में आती है, ऐसी स्थित में उक्त कारण को देखते हुये एफ0आई0आर0 को विलंवित नहीं माना जा सकता जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की आपितत है जिसे सुदृढ नहीं माना जा सकता है, तथा कंपू थाने में अ0सा0—1 के द्वारा घटना की सूचना देने की बात अवश्य बताई गई है, जैसा कि उसके पैरा—2 में आया है, किन्तु उससे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

- 11— मृतक रामवरन की कथानक मुताबिक मृत्यु दिनांक 6—6—11 को 2—30 ए०एम0 अर्थात रात्रि में हुई थी जैसा कि प्र0पी0—5 की अकाल मृत्यु की सूचना में उल्लेख है जिसे घटना के विवेचक गजेन्द्र अ0सा0—4 ने भी बताया है जिसमें इस बात का भी उल्लेख है कि रामवरन पुत्र सरनामसिंह निवासी तुकेडा जिला भिण्ड को एक्सीडेन्ट होने के कारण उपचार हेतु सरनामसिंह के द्वारा दिनांक 4/6/11 को रात 11—30 पी०एम0 पर न्योरोलॉजी विभाग जे०ए० एच० ग्वालियर में भर्ती कराया गया था, किन्तु उसके पहले आहत रामवरन किस विभाग में भर्ती रहा इसका प्र0पी0—5 में जानकारी नहीं दी गई, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि रामवरन की मृत्यु होने पर विवाद नहीं किया गया है । विवाद के समय के बारे में आरोपी/अपीलार्थी की और से अवश्य प्रश्न उतपन्न किये गये हैं कि जिस समय की घटना बताई गई है उस समय की चोटिल होने की पुष्टि नहीं होती है यह विन्दु शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक के अभिसाक्ष्य के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है ।
- 12— डॉ० जे०एन० सोनी अ०सा०—६ ने अपने अभिसाक्ष्य में मृतक रामवरन के शव का परीक्षण दिनांक 6—6—11 को जे०ए०एच० ग्वालियर के फोरेनिस्क मेडीशन विभाग में प्राध्यापक के पद पर रहते हुये थाना कंपू के आरक्षक अंगदिसंह द्वारा मृतक रामवरन पुत्र सरनामिसंह के शवपरीक्षण कराये जाने हेतु आवेदन लेने पर मृतक की पहचान उक्त आरक्षक व मृतक के भाई जितेन्द्रसिंह द्वारा किये जाने पर दिनांक 6—6—11 को ही करना बताया है । उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य में मृतक की पहचान का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं किया गया है, जिससे कथानक में बताये गये आहत रामवरन की अस्पताल में हुई मृत्यु के वाद उसका शवपरीक्षण होना माना जायेगा ।
- 13— डॉ० जे०एन० सोनी अ०सा०—६ के द्वारा मृतक रामवरन के किये गये शवपरीक्षण में आंतरिक और बहाय परीक्षण पश्चात प्र०पी०—9 की जो शपरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताई गई है उसमें मृतक रामवरन की मृत्यु शरीर व गर्दन में आई चोटों के कारण हृद्य व स्वशनतंत्र के विफल हो जाने के फलस्वरूप बताई गई है, और उक्त चिकित्सक ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि रामवरन की मृत्यु शवपरीक्षण करने के समय से 24 घंटे के भीतर होना पाई थी। मृतक के शरीर में शराब की कोई गंध आमाशय में उक्त चिकित्सक के द्वारा नहीं पाई गई है, हालांकि उसका विसरा संरक्षित करना बताया गया

है, किन्तु बचाव पक्ष की और से ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है कि मृतक जब बस में बैठा था तो वह शराब के नशे में था, और उसके कारण वह बस में ही गिर गया जिसमें चालक की कोई लापरवाही नहीं रही इसलिये चिकित्सक के पैरा—5 में दिये गये सुझावों का कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है, और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चिकित्सक की साक्ष्य से दुर्घटना 3/6/11 की ना होकर 5—6—11 की रही होगी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शवपरीक्षण करने वाले उक्त चिकित्सक ने ऐसी कोई राय व्यक्त नहीं की है कि मृतक रामवरन के शरीर पर पाई गई चोटें शवपरीक्षण करने के समय से 24 घंटे के भीतर की थी, बल्कि मृत्यु शवपरीक्षण के 24 घंटे के भीतर की बताई है इसलिये इस संबंध में लिया गया बचाव का आधार कोई विधिक महत्व नहीं रखता है, और प्र0पी0—9 की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रमाणित होती है, जिससे मृतक रामवरन की मृत्यु उसके शरीर पर आई चोटों के फलस्वरूप ही होना युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है । चोटे दुर्घटनात्मक स्वरूप की थी यह प्रत्यक्ष साक्ष्य व परिस्थितियों के आधार पर देखना होगा ।

14— अभियोजन के कथानक में प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 में जिस बस कमांक एम0पी0—30 पी0—1163 से दुर्घटना बताई गई है उसके चालक के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, तथा रिपोर्टकर्ता राममुनेशिसंह अ0सा0—1 जो कि उसी बस की सवारी के रूप में था तथा रामदास अ0सा0—2 और दिलीपिसंह अ0सा0—3 जो भी उसी बस में यात्री थे, और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी थे उनके पुलिस कथनों में भी चालक के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु दुर्घटना के प्रकरणों में चूंकि चालक और सािक्षयों की पूर्व की कोई पहचान हर क्षेत्रों में नहीं होती है, ऐसे में एफ0आई0आर0 के चालक के नाम का होना अभियोजन के लिये कतई घातक नहीं माना जासकता।

मामलें की बताई दुर्घटना हस्तगत 15-बस एम0पी0-30पी-1163 के चालक द्वारा बताई गई है, और चालक के संबंध में सर्वोत्तम स्वरूप की साक्ष्य बस के स्टॉफ या बस स्वामी से ही प्राप्त की जा सकती है । प्रकरण में मूल अभिलेख के परीशीलन से उक्त दुर्घटनकारी बस अनुसंधान के दौरान बस के पंजीकृत स्वामी रामबावूसिंह परमार पुत्र मुन्नासिंह परमार को सुपुर्दगी पर प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा दुर्घटना दिनांक 3/6/11 को बस चालक के संबंध में प्रमाणीकरण दिनांक 17-6-11 को दिया गया था जो कि अभिलेख पर संलग्न भी है, किन्तु उक्त बस स्वामी जिसने बस न्यायालय से सुपुर्दगी पर भी प्राप्त हुई वह प्रकरण के लिये बस चालक की जानकारी के संबंध में सर्वाधिक महत्व का साक्षी था, और उसका प्रमाणीकरण उपलब्ध होते हुये उसे साक्षी के रूप में सम्मलित नहीं किया जाना एक तकनीकी कमी है । अभियोगपत्र में बस चालक को साक्षी के रूप में सम्मलित नहीं किया गया, किन्तु अभियोगपत्र में उसका प्रमाणीकरण अंग बनाया गया है ऐसे में नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 118 की पालना विचारण न्यायालय को करते हुये बस स्वामी को साक्षी के रूप में आहूत करना चाहिये था, क्योंकि केवल अभियोजन पर यह दायित्व नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि न्यायालय का भी यह परम कर्तव्य है कि वह विचारण के दौरान यह देखे की मामलें से संबंधित आवश्यक प्रमाण पेश हो, ऐसे में वाहन चालक के संबंध में रामबावूसिंह परमार प्रकरण के लिये सर्वाधिक महत्व का साक्षी है और पहचान के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुये इस विन्दु पर प्रकरण अर्थात विचारण के लिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने योग्य है।

16—. इसके अलावा कथानक में अचानक ब्रेक लगाये जाने से मृतक के बस से बाहर गिरने से चोटिल होना बताया गया है, ऐसे में दुर्घटनाकारी बस की मैकेनिकल जांच से संबंधित साक्षी आरक्षक रामकरन शर्मा जिसकी मैकेनिकल जांच रिपोर्ट भी अभियोगपत्र का अंग बनाई गई थी वह भी प्रकरण के लिये अत्यन्त महत्व का साक्षी था जिसे भी परीक्षित नहीं किया गया है, जब कि वह अभियोगपत्र में साक्षी के रूप में भी सम्मलित था, और परीक्षित नहीं किये जाने का कोई भी कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका में स्पष्ट नहीं होता है तथा केवल अभियोजन के निवेदन पर साक्ष्य समाप्त कर देना उपर वर्णित नियम 118 की मंशा को देखते हुये उचित नहीं है, इस बिन्दु पर भी मूल प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने योग्य है ।

परीक्षित साक्षियों में रामम्नेशसिंह अ०सा०-1, रामदास अ०सा०-2, दिलीप अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताई गई दुर्घटनाकारी बस में यात्रि के रूप में होते हुये मृतक रामवरन का भी उस बस में होना बताया है । बस को उसके चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाया जाना और रामवरन का बस के गेट से नीचे गिर जाने से चोटिल होना और ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराये जाने तथा वाद में उसकी मृत्यु हो जाने के तथ्य बताये गये हैं । राममुनेश ने चालक द्वारा लापरवाही से ब्रेक लगाने के कारण रामवरन का बस से गिरना बताया है तथा रामदास ने एकदम से दौंची आने पर रामवरन का गिरना बताया है । दिलीपसिंह ने रामवरन का बस के गेट के उपर खड़ा होना, और बस का पहिया गड़ में पड़ने के कारण गिरना बताया है, किन्तू तीनों साक्षियों ने ही बस तेजी से चालक द्वारा चलाया जाना बताया है । अ०सा०–2 व अ०सा०-3 ने बस कौन चला रहा था इस बिन्दु पर जानकारी का अभाव बताया है । रिपोर्टकर्ता और महत्वपूर्ण साक्षी राममुनेश ने अवश्य चालक की न्यायालय में पहचान की है और यह कहा है कि, न्यायालय में जो आरोपी उपस्थित है वही बस का ड्राईवर था इसी आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन के मामलें को प्रमाणित माना है, किन्तु कथानक में उक्त साक्षी के पुलिस कथन में बस चालक का नाम या पहचान के संबंध में तथ्य नहीं था ।

18— ऐसे में बस मालिक की साक्ष्य प्रकरण के निष्पक्ष और उचित व विधिपूर्ण निराकरण के लिये अति आवश्यक है । ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त करते हुये मूल प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मैकेनिकल जांच कर्ता आरक्षक रामकरन शर्मा एवं बस स्वामी रामबावूसिंह परमार को साक्षी के तौर पर आहूत कर उनकी साक्ष्य लेते हुये आरोपी/अपीलार्थी को प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुये शीघ्रअतिशीघ्र प्रकरण का पुनः विधि अनुसार निराकरण करें ।

19— आरोपी / अपीलार्थी दिनांक 5 / 12 / 14 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

दिनांकः 21 नबम्बर 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड